न्यायालय–रिविजन प्राधिकार–सह–सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

रिविजन वाद संख्या–वन मु०(री०)–03/2023
चन्द्रिका यादव, कैमूर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

यह रिविजनवाद चन्द्रिका यादव, पिता–बबन यादव, ग्राम–मजीगाय, थाना–चाँद, जिला–कैमूर, भभुआ द्वारा समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, कैमूर भभुआ के अपीलीय न्यायालय में दायर विविध (वन अधिहरण अपील) वाद सं0–32/2021 में दिनांक–11.01.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद की संक्षिप्त विवरणी है कि दिनांक–02.03.2020 को समय 9:40 बजे पूर्वाह्न में ऋषिकेश कुमार, वनपाल को गुप्त सूचना मिली कि चन्द्रिका यादव, पिता–बबन यादव, ग्राम–मझिगाँयी, थाना–चाँद के द्वारा J.C.B. मशीन से मिट्टी मोरम काटकर ट्रैक्टर से ढुलाई की जा रही है। सूचना मिलते ही वनपाल अपने अधीनस्थ वनरक्षियों के साथ सौखरा सुरक्षित वन की तरफ गये। जैसे ही वहां पहुँचे तो पाये कि एक J.C.B. मशीन से मिट्टी मोरम काटा जा रहा था। गश्ती दल को आते देखकर चालक गाड़ी/J.C.B. खड़ा कर अन्य दो व्यक्तियों के साथ भागने लगा। जिनका पीछा किया गया किन्तु जंगल का लाभ लेकर वे लोग भागने में सफल हो गये। पुनः घटना स्थल पर जाकर J.C.B. मशीन की तलाशी ली गयी तो किसी प्रकार के कोई वैद्य कागजात नहीं मिले। वैद्य कागजात के अभाव में मशीन की जप्ती की कार्रवाई करते हुए गवाहों के समक्ष जप्ती सूची बनायी गयी तथा जप्त सामानों को सूरक्षार्थ चैनपुर स्थाई पौधशाला परिसर में लाकर रखा गया।

घटना के संबंध में श्री ऋषिकेश कुमार, वनपाल कल्याणीपुर परिसर द्वारा जप्ती सूची के साथ भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम, 1989) की धारा–33, 41, 42 का उल्लंघन करने के जूर्म में अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के न्यायालय में वाद का प्रारंभिक प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

श्री ऋषिकेश कुमार, वनपाल कल्याणीपुर परिसर की जप्ती सूची एवं प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन

अधिनियम, 1989) की धारा–52 के तहत् प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ के अधिहरण न्यायालय में वनवाद संख्या–04F/2020 दर्ज कर अधिहरणवाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। अधिहरण न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई पूर्ण करते हुए दिनांक–17.04.2021 को जप्त J.C.B मशीन निबंधन संख्या–UP-67T/4720, मॉडल संख्या–TLB-704, S.No.-TESC12AQ-04-B-740-5268 को सौखरा सुरक्षित वन क्षेत्र से वनभूमि की अवैध कटाई करने का अभियोग प्रमाणित होने पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम, 1989) की धारा–52(3) मे निहित प्रावधानों के तहत् सभी दायित्वों से मुक्त करते हुए बिहार सरकार के पक्ष में राज्यसात करने का आदेश पारित किया गया।

रिविजनकर्त्ता द्वारा अधिहरण न्यायालय से दिनांक–17.04.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध जिला दण्डाधिकारी, कैमूर, भभुआ के अपीलीय न्यायालय में वन अधिहरण अपील वाद संख्या–32/2021: चन्द्रिका यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया है। इस अपील वाद में दिनांक–11.01.2023 को समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, कैमूर, भभुआ द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया एवं अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

रिविजनकर्त्ता द्वारा जिला दण्डाधिकारी, कैमूर, भभुआ के अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–11.01.2023 के विरूद्ध सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के रिविजन न्यायालय में दिनांक–11.05.2023 को रिविजन याचिका दायर की गयी, जिसके आधार पर रिविजन वाद संख्या–03/2023: चन्द्रिका यादव, कैमूर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

समाहर्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, कैमूर, भभुआ के अपीलीय न्यायालय द्वारा अधिहरण अपील वाद संख्या–32/2021 में दिनांक–11.01.2023 को पारित आदेश, प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ के न्यायालय द्वारा अधिहरण वाद सख्या–03/2020 में दिनांक–17.04.2021 को पारित आदेश, प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित प्रतिउत्तर, उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात एवं दोनों पक्षों के बहस से निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट होते है:–

1. रिविजनकर्त्ता का J.C.B मशीन निबंधन संख्या–UP-67T/4720, मॉडल संख्या–TLB-704, S.No.-TESC12AQ-04-B-740-5268 को सौखरा सुरक्षित वन क्षेत्र के मौजा–सौखरा, थाना सं0–99, खाता सं0–327, प्लॉट सं0–1201/1637 से सटे उसी मौजा में खाता सं0–325, प्लॉट सं0–1201 की रैयती भूमि को समतल करने के लिए ले जाया गया।

2. रैयती भूमि के समतलीकरण के दौरान J.C.B मशीन द्वारा सुरक्षित वन भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर 20–30 फीट वनभूमि की कटाई की गयी। ऐसा वन भूमि अतिक्रमण के उद्देश्य से किया जाता है।

3. रिविजनकर्त्ता द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे समाहर्त्ता के अपीलीय न्यायालय एवं प्राधिकृत पदाधिकारी के अधिहरण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके।

वर्णित तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में रिविजनकर्त्ता के रिविजन याचिका को अस्वीकृत किया जाता है।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाय।

ह0/–
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार

लेखापीत एवं संशोधित

ह0/–
(बन्दना प्रेयषी)

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–03/2023................/प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–................

प्रतिलिपि– श्री चंद्रिका यादव, पिता–बबन यादव, ग्राम–मजीगाय, थाना–चाँद, जिला– कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–03 / 2023................ / प०व०ज०प०   पटना–15 दिनांक–................

प्रतिलिपि– जिला दण्डाधिकारी, कैमूर, भभुआ / वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(मोख्तारूल हक)

परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–03 / 2023/1637 / प०व०ज०प०   पटना–15 दिनांक–08/4/25

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/4/25

(मोख्तारूल हक)

परामर्शी